

12/2021

पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उच्च प्रतिवादी सं. 2, 3 की मालिक सम्पत्तियों से लेकर पेशवादी हैं। बाबजूद सम्पत्तियों मालिक अज्ञात होने पर प्रतिवादी सं. 2, 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लानी जारी है। वक्तव्य प्रकरण में बहस वकुलाप उच्चपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 26/2/2021 में पेश है।

6/2/2021

पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। वकुलाप उच्चपक्ष उपस्थित प्रकरण में बहस वकुलाप उच्चपक्ष पूर्व में बहसपूर्व में सुनी जा चुकी है। वरन् बहस वकुलाप उच्चपक्ष ने मुताबिक शरीनामा दावा डिमी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिपोर्ट, वस्तावेजात, शरीनामा जारी का अपलोड किया गया एवं बहस वकुलाप उच्चपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि विवादित पक्षकारों द्वारा शरीनामा पेश किया जा चुका है जिसे आपालन जा इस तस्वीर भी किया जा चुका है। अतः वहीजण मुताबिक शरीनामा दिनांक 05/2/2021 कर किया जाकर डिमी किया जाता है। शरीनामा

सहायक कलक्टर (कार्ट ट्रैक) खण्डोज

दिनांक 05/2/2021 डिमी का आज खेगा। मुताबिक शरीनामा दिनांक 05/2/2021 राजस्व रेकार्ड में अमल दस्तावेज है। वकुलाप उच्चपक्ष में पेश डिमी जारी है। पत्रावली केंसल सुनने दोनर नंबर से कम हो गया बाद तकनीक तखिल दफ्तर दो। निर्णय आज दिनांक 26/2/2021 को सुने आपालन में सुनाया गया।



(शक्ति कुमार) RAS सहायक कलक्टर (कार्ट ट्रैक) खण्डोज